



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012021-224170
CG-DL-E-04012021-224170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2021/पौष 11, 1942

No. 11]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2021/PAUSHA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2021

का.आ. 11(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के स्तम्भ क्रमशः (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
587	एनई 7	कर्नाटक राज्य में रारा-75 और रारा-207 पर होसकोट के निकट एक्सप्रेस वे (ग्रीन फील्ड के तहत निर्माणाधीन) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मलुर, बांगरपेट, बेथमंगला, आंध्र प्रदेश राज्य में बंगारुपलेम, गुडीपाला, वलजहापेट, अरक्कोणम, कांचीपुरम को जोड़ने वाला और तमिलनाडु राज्य में श्रीपेरुम्बुर के पास रारा सं. 48 पर अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला

	राजमार्ग।
--	-----------

पाद टिप्पणः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी, जिसे दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित, और बाद में अधिसूचना सं. का.आ. 4540(अ), दिनांकित 15 दिसंबर, 2020 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/14/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2021

S.O. 11(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
587	NE 7	The expressway (under construction Green Field) starting from its junction with NH-75 & NH-207 near Hoskote connecting Malur, Bangarpet, Bethamangala in the state of Karnataka, Baireddypalle, Bangarupalem in the state of Andhra Pradesh, Gudipala, Walajahpet, Arakkonam, Kancheepuram and terminating at its junction with NH No. 48 near Sriperumbudur in the State of Tamil Nadu.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 4540 (E), dated 15th December 2020.

[F. No. NH-14012/14/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director